न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अरुण कुमार जैन , आर.ए.एस

प्रकरण सं.260/2025 प्रा.प. दायर दिनांक 07.05.2025 निर्णय दिनांक07.05.2026

उनवान

1.श्री हीरालाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर नि.रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
2. श्री सवाईराम गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर नि.रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
3. श्री देबीलाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर नि.रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
4. श्री भंवरलाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर नि.रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
5. श्रीमती सोहनीदेवी पत्नि जगन्नाथ गुर्जर नि.रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उदा गुर्जर पिता गोपी गुर्जर नि.बासड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
2. श्री नन्दा गुर्जर पिता गोपी गुर्जर नि.बासड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
3. श्री नाराण गुर्जर पिता गोपी गुर्जर नि.बासड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
4. श्रीमान तहसीलदार साहब भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत, धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री किशनलाल कुमावत उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 से 03 श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
3. विपक्षी सं.04 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक07.05.2026

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगणो के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की शामलाती कृषि आराजीयात् ग्राम बासड़ा पटवार क्षेत्र गुंदली भू.अभिलेख निरीक्षक पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे स्थित होकर आराजी नं. 755 व 756 कुल किता 2 रकबा 0.9483 हेक्टेयर है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात् मे जाने के लिए मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है प्रार्थीगण अपनी आराजीयात् मे जाने के लिए सरकारी आराजी सं.694से होकर आराजी सं.697 मे से होकर आते –जाते है , तथा आराजी सं. 697 विपक्षी सं.01 लगायत 03 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान मे विपक्षीगण के मन मे फितुर आ जाने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी मे नही जाने दे रहे है तथा प्रार्थीगण के सुखाधिकार को बाधित कर अपनी आराजी मे जाने के लिए रास्ते का उपयोग करने से बाधित कर रहे है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने के लिए इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर व रेकार्ड मे उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण का रास्ता विपक्षी की आराजी सं.697 के उत्तर- पश्चिम दिशा की तरफ से होकर जाता है जिसको भू नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा मौके पर विपक्षी की आराजी सं.697 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को दिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थआन काश्तकारी अधिनयम 1955 अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम बासड़ा मे स्थित प्रार्थी की आराजी नं.755,756 कुल किता 2 रकबा 0.9483 हेक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु विपक्षी की ग्राम बांसड़ा पटवार हल्का गुंदली मे स्थित आराजी सं.697 रकबा 0.0126 हेक्टेयर भूमि उत्तर-पश्चिम दिशा मे 30 फीट चौड़ा रास्ता जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात् मे आ –जा सके को राजस्व रिकार्ड मे गेर मुमकिन रास्ते के रूप

उपखण्ड अधिकारी

मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन का वकालत नामा प्रस्तुत हुआ। विपक्षीगण की ओर से दिनांक 08-09-2025 को जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब मे अंकित किया कि प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि आराजी सं.755,756 मे आने-जाने हेतु सरकारी रास्ता आराजी सं. 694 से होकर विपक्षीगण की आराजी सं.697 मे से होकर आते जाते है जो बिल्कुल ही मनगढन्त व मिथ्या है प्रार्थीगण कभी भी आराजी सं.697 मे से होकर आते जाते नही है नही मौके पर वर्तमान मे कोई रास्ता मौजूद है व न ही रहा है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि आराजी सं.755. 756 मे जाने के लिए मौके पर सिचाई विभाग की नहर आराजी सं.797/1 व 798/1 स्थित है जिसके उपर मौके पर पुलिया बना हुआ है जिस पर से होकर प्रार्थीगण अपनी स्वयं की आराजी सं.798/2,797/2,794 मे से होकर प्रार्थना पत्र मे अंकित आराजी सं.755 व 756 मे आ- जा सकते है। जो कि मौके पर रास्ता विद्यमान है उसी रास्ते का उपयोग –उपभोग प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के सह हिस्सेदार करते है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाने योग्य है क्यो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) यह कहती है कि किसी भी खातेदार को अपने जोत पर ज़ाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक / एफ -246 /रीडर /2025/512 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त हुई। तहसीलदार रिपोर्ट पर विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर पूर्व मे दिये गये जवाब को समाहित करते हुए रिपोर्ट पुन: पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस का मनन व चिंतन किया गया प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम बांसड़ा की आराजी सं.755,756 मे स्वयं की सहखातेदारी भूमि 794,797/2,798/2 से होते हुए गेमु.नहर आराजी सं.797/1,798/1 पर पहुंच सकते है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार आत्यांतिक आवश्यकता का बिन्दु प्रमाणित नही होता है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मोके पर वैकल्पिक रास्ता स्वयं की सहखातेदारी भूमि मे होने से स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतएव –

आदेश

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय दिनांक 07/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

7/5/26

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा